न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी	:–	बीना महावर, आर.ए.एस. अति0 जिला कलक्टर, लालसोट
मुकदमा नंबर	:–	नया नंबर 97/2023
रजु दिनांकः	:–	27.09.2023

घासीलाल पुत्र मूल्या जाति कोली निवासी ग्राम बिहारीपुरा तह0 लालसोट जिला दौसा

प्रार्थी

बनाम

1. मोतीलाल पि0 रूगनाथ
2. रामेश्वर पि0 रूगनाथ
3. कल्या पि0 रूगनाथ
   समस्त जाति कोली निवासी ग्राम बिहारीपुरा तह0 लालसोट जिला दौसा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट।

अप्रार्थीगण

निर्णय – अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार लालसोट दिनांक 05.12.2002 सहमति से तकास्मा करने व नामान्तरकरण संख्या 103 दिनांक 05.12.2002 ग्राम बिहारीपुरा तहसील लालसोट को तस्दीक करने बाबत।

उपस्थितः– अपीलांट अधिवक्ता श्री प्रकाश चंद शर्मा एडवोकेट

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता श्री बाबूलाल हाडा एडवोकेट

अपील अपीलान्ट घासीलाल द्वारा नामान्तकरण संख्या 103 ग्राम बिहारीपुरा तहसील लालसोट व आदेश सहमति से तकास्मा दिनांक 05.12.2002 के विरुद्ध पेश की गई है। अपील को दर्ज कर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील को मियाद बाहर होने पर प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर बहस सुनकर अपील को मियाद में शुमार कर बहस अंतिम सुनी गई है।

अपीलान्ट ने अपील के तथ्यो को दोहराते हुए कहा कि अपीलान्ट दौराने राजीनामा उपस्थित नही था। अपीलान्टस की माता की मृत्यु सन् 2005 में हुई थी जिसकी अंगूठा निशानी तकास्मा पर है। उक्त तकास्मे से अपीलांट को अपने खेत के लिए रास्ता उपलब्ध नही है रोड साईड से फर्जी तकास्मा से अपने नाम लगवा लिया है। अतः फर्जी तकास्मा को नामांतकरण संख्या 103 दिनांक 05.12.2002 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Beena Mahawar
Date: 2024.03.05 17:48:22 IST
Reason: SelfAttested

बहस रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि विवादित खसरा संख्या 115 रघुनाथ व मूल्या के नाम दर्ज थी। रघुनाथ के वारिसान रामेश्वर, मोती, कल्या व मूल्या के रामप्यारी, घासीलाल, नाथू वगैराह वारिसान हुए जिनका 1/2, 1/2 हिस्सा खसरा नंबर 115 में था। दिनांक 04.12.2002 को समस्त खातेदार ने तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर आपसी सहमति से तकास्मा करने हेतु निवेदन किया जिसमें अपीलान्ट व उसकी माता रामप्यारी व भाई नाथूलाल के हस्ताक्षर अंगूठा निशानी पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर खातेदारो का तकास्मा कर नक्शा शीट में खसरा नंबर 115/1, 115/2 की तरमीम की गई। उस पर भी समस्त

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

पक्षकारो की अंगूठा निशानी व हस्ताक्षर है अपीलान्ट घासीलाल के भी उक्त दोनो पन्नों पर हस्ताक्षर है समस्त पक्षकार उक्त तकास्मा से सहमत थे इस पर तहसीलदार लालसोट द्वारा पटवारी हल्का को राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये गये। उस पर पटवारी हल्का द्वारा नामांतकरण संख्या 103 दिनांक 05.12.2002 को भरा गया तथा खसरा नंबर 115/1 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नंबर 115/2 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा का तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया तथा अपीलान्ट ने अपने हिस्से की भूमि को जयपुर नागौर ग्रामीण आंचलिक बैंक के यहां रहन रख कर ऋण उसी समय प्राप्त किया। अपीलान्ट घासीलाल पीएचईडी में पम्प चालक था तथा उसके द्वारा समस्त कागजात पर तहसीलदार लालसोट के समक्ष हस्ताक्षर किये नक्शे पर भी हस्ताक्षर किये तथा उसकी माता रामप्यारी व भाई नाथूलाल के भी अंगूठा निशानी व हस्ताक्षर है तथा अब यह अपील 20 वर्ष बाद केवल घासीलाल द्वारा ही प्रस्तुत की गई है, उसके भाई व माता व अन्य की तरफ से अपील पेश नही की न ही उन्हे रेस्पोडेन्ट बनाया गया इस कारण यह अपील खारिज किये जाने योग्य है तथा तकास्मा के प्रपत्र 5 पर भी घासीलाल के हस्ताक्षर है। मुताबिक पटवारी रिकॉर्ड तकास्मा सहमति से होना बताया गया है। अपीलान्ट द्वारा 20 वर्षो तक अपने फर्जी हस्ताक्षर व माता की फर्जी अंगूठा निशानी बाबत आज तक कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाने पर दर्ज करवाई गई हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड पत्रावली पर भी उपलब्ध नही है। अपीलांट द्वारा अपने हिस्से की वर्तमान में भी यूको बैंक के यहां रहन रख कर ऋण ले रखा है अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने का निवेदन वकील रेस्पोडेन्ट ने किया है।

उपरोक्त तथ्यो व बहस में साबित है कि अपीलांट ने तहसीलदार लालसोट के समक्ष दिनांक 04.12.2002 को स्वयं व उसकी माता व अन्य सह खातेदारो ने उपस्थित होना सहमति से तकास्मा कर अपने अंगूठा निशानी हस्ताक्षर किये थे तथा नक्शा शीट पर भी तकास्मा बाबत नंबर अलग-अलग 115/1, 115/2 डालकर रंग भर कर तकास्मा किया था उस पर भी अपीलांट व उसकी माता के हस्ताक्षर है इससे यह प्रमाणित है कि अपीलांट को उक्त तकास्मा व नामांतकरण की जानकारी 20 वर्ष पहले से ही थी तथा उसने अपने हिस्से की भूमि को बैंको के यहां भी रहन किया था। अपीलांट द्वारा फर्जी अंगूठा निशानी या हस्ताक्षर होने के संबंध में भी कोई कार्यवाही की गई हो इसका कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। अपीलांट के कहने मात्र से 20 वर्ष पूर्व हुए तकास्मा पर हुए हस्ताक्षर-अंगूठा निशानी को फर्जी नही माना जा सकता। साथ ही अपीलांट ने माता व भाई जिसके तकास्मा प्रपत्र पर हस्ताक्षर है। उनको भी अपील में पक्षकार नही बनाया जबकि वो प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। इस आधार पर भी अपील अपीलांट निराधार प्रतीत होती है। इस कारण अपीलांट की अपील का कोई सार नही है तथा तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 05.12.2002 को तकास्मा के आदेश देकर उसके आधार पर नामांतकरण संख्या 103 दिनांक 05.12.2002 को वैध रूप से तस्दीक किया गया। उसमें किसी भी तरह की अवैधानिकता नहीं [illegible] कारण अपीलांट घासीलाल द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। पत्रावली [illegible] नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड वापस भेजा [illegible]

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक ....2/2/24.... को सरे ईजलास सुनाया गया।

बीना महावर आरएएस
अतिरिक्त जिला कलक्टर, लालसोट

Signature Not Verified
Digitally signed by Beena Mahawar
Date: 2024.03.05 17:48:22 IST
Reason: SelfAttested